DC RATE WAGES OF EMPLOYEES IN AMBALA CITY

*1119. SH. ASEEM GOEL, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state whether the wages given to the employee on D.C. rate in Ambala City are equal to the D.C. rate wages given in other districts in State, if not, the reasons thereof?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

No, Sir. D.C. rate wages given in Ambala City are not equal to the D.C. rate wages of other districts in the State.

The fixation of D.C. rates is district specific and is made annually by Deputy Commissioners for their respective districts. It is based on the cost of living in the district. While fixing the D.C. rates, various relevant factors such as Consumer Price Index (CPI), rental values, labour cost etc. are considered.

अंबाला शहर में कर्मचारियों को डी.सी. रेट पर वेतन

'1119. श्री असीम गोयल, एम.एल.ए: क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या राज्य में अंबाला षहर में डी.सी. रेट पर कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन अन्य जिलों में दिए जा रहे डी.सी. रेट वेतन के बराबर है, यदि नही, तो उसके कारण क्या हैं ?

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

नहीं, श्रीमान जी। अंबाला शहर में दिया जाने वाला डी.सी. रेट राज्य के अन्य जिलों के डी.सी. रेट वेतन के बराबर नहीं है। डी.सी. दरों का निर्धारण जिला विषेश के लिए है और ये उपायुक्त द्वारा अपने जिले के लिए हर साल निर्धारित किए जाते हैं। ये जिले में जीवन यापन की लागत पर आधारित होते हैं। डी.सी. दरों को निर्धारित करते समय इससे सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.), किराऐ की दरें, श्रम लागत आदि को मध्य नजर रखा जाता है।